

## राज्य के पीसीएस अधिकारियों के लिये 'स्पैरो-यूपी' पोर्टल

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पीसीएस अधिकारियों (PCS Officers) को अपनी चल-अचल संपत्तिका ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिये 'स्पैरो-यूपी' पोर्टल का निर्माण किया है। सभी अधिकारियों को लॉग-इन व पासवर्ड भी दे दिया गया है।

### प्रमुख बंदि

- इन अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रवर्षिटि (NCR) भी अब ऑनलाइन दी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्तिका ब्यौरा देने के नरिदेश दिये थे।
- गौरतलब है कि आईएएस अधिकारियों के लिये अपनी संपत्तिका ब्यौरा देना पहले से अनविर्य है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण वभिाग के तहत यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।
- आईएएस अधिकारियों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्तिका ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है। आईएएस अधिकारियों के लिये लागू व्घ्यवस्था की तरज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिये भी यह व्यवस्था लागू कर दी है।
- इसके तहत राज्य के सभी पीसीएस अधिकारियों को हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्तिका हसिाब देना होगा। ऐसा न करने पर वभिागीय कार्रवाई की जाएगी।
- प्रत्येक अधिकारी को हर साल अप्रैल में पछिले वतित वर्ष के लिये अपना सेल्फ एप्रैजल भी ऑनलाइन देना होगा। ब्यौरा न देने वाले अफसरों को इसका खामयाजा भुगतना पड सकता है। ऐसे लोगों की वार्षिक प्रवर्षिटि रोक़ी जा सकती है। इससे इंक्रीमेंट और पदोन्नति भी प्रभावति हो सकती है।